

## इदाते आयोग की रपिएरट

### प्रलिमिस के लिये:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), इदाते आयोग की रपिएरट, भारत में वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियाँ (NT, SNT और DNT), अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग

### मेन्स के लिये:

अनुसूचित जनजातिके लिये राष्ट्रीय आयोग की भूमिका, अनुसूचित जनजातिकी समस्याएँ, इदाते आयोग की रपिएरट की सफिरशिं की प्रासंगिकता

स्रोत: द हैट्टी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारत में वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियों (NT, SNT और DNT) की चतिआओं को दूर करने के लिये इदाते आयोग की रपिएरट की सफिरशिं को क्रायिन्वाति करने के महत्वपूर्ण पर ज़ोर दिया।

- NHRC ने सरकार से आभ्यासकि अपराधी अधनियम, 1952 (Habitual Offenders Act, 1952) को नरिस्त करने या अधनियम के तहत अनविरय नोडल अधिकारियों के साथ गैर-अधिसूचित जनजातिसमुदाय से एक प्रतनिधि नियुक्त करने का आग्रह किया।
  - इसके अतरिक्त, इसने SC/ST/OBC श्रेणियों से DNT/NT/SNT को बाहर करने और उनके लिये अनुरूप नीतियाँ बनाने की सफिरशि की।

### इदाते आयोग (Idate Commission) की प्रमुख सफिरशिं क्या थीं?

- परचिय:**
  - इसकी स्थापना वर्ष 2014 में वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) की एक राज्यव्यापी सूची संकलति करने के लियमीकू रामजी इदाते के नेतृत्व में की गई थी।
  - एक अन्य आदेश अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पछिड़ा वरण (OBC) श्रेणियों से बाहर रखे गए लोगों की पहचान और उनकी भलाई के लिये कल्याणकारी उपायों की सफिरशि करना था।
- सफिरशि�:**
  - SC/ST/OBC सूची में चहिनति नहीं किया गए वयक्तियों को OBC श्रेणी में नरिदिष्ट किया जाए।
  - अत्याचारों को रोकने और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षा की भावना को बहाल करने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधनियम, 1989 में तीसरी अनुसूची को शामिल करके वैधानकि तथा संवैधानकि सुरक्षा उपायों को बढ़ाना।
  - DNT, SNT और NT के लिये कानूनी स्थितिवाले एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए।
  - महत्वपूर्ण आबादी वाले राज्यों में इन समुदायों के कल्याण के लिये एक अलग वभाग बनाए जाएं।
  - DNT** परवारों की अनुमानति संख्या और वर्तिरण नरिधारति करने के लिये उनका गहन सर्वेक्षण किया जाए।

### वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियाँ कौन हैं?

- परचिय:**
  - इन्हें 'वमिक्त जाति' के नाम से भी जाना जाता है। ये समुदाय सबसे अधकि असुरक्षित और वंचित हैं।
  - ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधनियम, 1871 जैसे कानूनों के तहत गैर-अधिसूचित समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' के रूप में अधिसूचित/अंकति किया गया था।
  - उनहें वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा आधिकारकि तौर पर गैर-अधिसूचित कर दिया गया था।

- इनमें से कुछ समुदाय जनिहैं गैर-अधिसूचिति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी घुमंतू थे।
  - घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परभिष्ठति किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बदले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से, घुमंतू जनजातियों और गैर-अधिसूचिति जनजातियों को कभी भी नज़ी भूमिया गृह स्वामतिव तक पहुँच नहीं थी।
- अधिकांश DNT अनुसूचिति जाति (SC), अनुसूचिति जनजाति (ST) और अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, कुछ DNT अनुसूचिति जाति (SC), अनुसूचिति जनजाति (ST) या अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में से कसी में भी शामिल नहीं हैं।
- NT, SNT और DNT समुदायों के लिये प्रमुख समतियों/आयोग:
  - संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में आपराधिक जनजाति जाँच समिति, 1947 का गठन किया गया।
  - नंतशयनम आयंगर समिति, 1949
    - इस समितिकी अनुशंसा के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को नरिस्त कर दिया गया।
    - काका कालेलकर आयोग (जसे पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
    - बी.पी. मंडल आयोग, 1980
      - आयोग ने NT, SNT और DNT समुदायों के मुद्दे से संबंधित कुछ सफिराईं भी की।
  - राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution - NCRWC), 2002 ने माना कि DNT को गलत तरीके से अपराध प्रवरण माना गया है और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। साथ ही कानून और व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण किया जाता है।
- वितरण:
  - भारत में, लगभग 10% आबादी NT, SNT और DNT समुदायों से बनी है।
  - जहाँ वमिकृत जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, वही घुमंतू जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 वर्मिन्स समुदाय शामिल हैं।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि दिक्षणि इशाया में विश्व की सबसे बड़ी खानाबदोश आबादी है।

## घुमंतू जनजातियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं का अभाव: इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदि संबंधी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रहते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव: चूँकि इन समुदायों के लोग पराया: यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें राशन कारड़, आधार कारड़ आदि भी नहीं जारी किया जाता है।
- स्थानीय प्रशासन का दुख्यवहार: वमिकृत, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत तथा अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन एवं पुलसि द्वारा प्रताङ्कित किया जाता है।
- संदर्भित (Ambiguous) जाति विर्गीकरण: इन समुदायों के बीच जाति विर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचिति जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) के तहत शामिल किया जाता है।

## इन जनजातियों के लिये क्या विकासात्मक प्रयास किये गए हैं?

- DNT के लिये डॉ. अंबेडकर पर्सी-मैट्रकि और पोस्ट-मैट्रकि छात्रवृत्ततः:
  - यह केंद्रीय प्रायोजिति योजना वर्ष 2014-15 में वमिकृत, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचिति जाति, अनुसूचिति जनजाति आयोग पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  - DNT छात्रों के लिये प्रसी-मैट्रकि छात्रवृत्ततः की योजना DNT बच्चों, विशिष्टकर लड़कों के बीच शिक्षा का प्रसार करने में सहायक है।
- DNT बालकों और बालकियों हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:
  - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजिति योजना, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
  - इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन DNT छात्रों को छात्रावास आवास प्रदान करना है जो SC, ST या OBC की श्रेणियों में नहीं आते हैं।
  - इस सहायता का उद्देश्य उनकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में सुविधा प्रदान करना है।
- DNT के आरथिक सशक्तीकरण हेतु योजना:
  - इनका उद्देश्य निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता तथा आजीविका पहल प्रदान करना है।
  - इसके तहत वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपए के व्यय को सुनिश्चित किया गया।
  - DWBDNC (गैर-अधिसूचिति, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू समुदायों के लिये विकास तथा कल्याण बोर्ड) को इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया।

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)

- परिचय:
  - यह जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तियों की गरमि से संबंधित अधिकारों तथा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों एवं भारतीय न्यायालयों द्वारा कार्यान्वयन करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों की सुनिश्चिति करता है।
- गठन:
  - इसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया।
  - मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित।
  - इसका गठन प्रेरित सदिधातां के अनुरूप हुआ जिन्हें मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवरद्धन के लिये अंगीकृत किया गया।

- **संघटन:**
  - आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच पूरणकालिक सदस्य तथा सात मानद सदस्य शामिल होते हैं।
  - अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है।
- **नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
  - आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति इह सदस्यीय समिति की अनुशंसाओं पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विधिक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।
  - अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
- **भूमिका तथा कार्य:**
  - इसके पास न्यायिक कार्यवाही सहति सविलि न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं।
  - मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा अन्वेषण अभियानों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार।
  - मामलों के घटति होने के एक वर्ष के भीतर उनकी जाँच कर सकता है।
  - इसके कार्य मुख्यतः अनुशंसात्मक प्रकृति के होते हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. भारत के 'चांगपा' समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2014)

1. वे मुख्य रूप से उत्तराखण्ड राज्य में रहते हैं।
2. वे पश्चीमा बकरियों को पालते हैं जिनसे उन्नत ऊन प्राप्त होता है।
3. इन्हें अनुसूचित जनजातियों श्रेणी में रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1  
 (b) केवल 2 और 3  
 (c) केवल 3  
 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (ST) के प्रतिभेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख विधिक पहलें क्या हैं? (2017)